

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.7(198)एम.ई./ग्रुप-1/2019

जयपुर, दिनांक:

10 JUL 2019

सचिव,
गुरुकुल शिक्षण संस्थान,
बी-5 टोडी नगर,
सांवली रोड़, सीकर


विषय:- सालासर बालाजी इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी को डी.फॉर्मा कोर्स हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संस्थान द्वारा इस विभाग में डी.फार्मा कोर्स प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत आवेदन वास्ते अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के संबंध में लेख है कि विभाग द्वारा अपने पूर्व परिपत्र दिनांक 15.03.2017 को विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2019 के द्वारा प्रत्याहारित (Withdraw) कर लिया गया है।


चूंकि आपके संस्थान को AICTE द्वारा Approval दी जा चुकी है। अतः AICTE के विनियमों के प्रावधानानुसार संस्थान को राज्य सरकार से NOC जारी किये जाने हेतु कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भवदीय,


(आर.एन.शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।


शासन उप सचिव